

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऑडियोमीटर तकनीशियन पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर
सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एवी.
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऑडियोमीटर
तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पण्धारक
भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II)
कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को
लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई मेल कर सकते हैं।-

श. सामंत
(जी.पी. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 2019

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली ऑडियोमीटर तकनीशियन, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 को, सिवाए उन बातों के अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ऑडियोमीटर तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली ऑडियोमीटर तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण एवं वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
- परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	बेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अनुचयन पद	मीधी भर्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ऑडियोमिटर तकनीशियन	01* (2019) *कार्यभार केआधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण कैरेंटिय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसंचिवीय	बेतन मेट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता (बैंडीय सरकार द्वारा जारी अनुदंशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) नोट: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्थिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख के अभ्यर्थियों के लिए विविहित की गई है)।	30 वर्ष तक	

मीधी भर्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अमेलित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	मीधी भर्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विविहित की आयु और शैक्षिक अर्हताएं अवधि, यदि कोई में लागू होती या नहीं	परिवीक्षा की या आमेलन द्वारा या विभिन्न प्रद्वितियों द्वारा भर्ति जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	मीधी भर्ति की पद्धति, मीधी भर्ति द्वारा प्रोनेन्टि द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रद्वितियों द्वारा भर्ति जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
ऑडियोलॉजी में हिंगी के साथ एक वर्ष की इंटर्नशिप।	(7)	लागू नहीं होता	दो वर्ष
वांछनीय: भारतीय और विदेशी भाषा का ज्ञान।	(8)	(9)	(10)

टिप्पणी-1: अन्यथा मुझहित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अहेताएं शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणी-2: अनुभव संबंधी अहेताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे शेणियां जिनसे प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्ति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ईएनटी विभाग के विभागाध्यक्ष, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल उपनिदेशक प्रशासन, एमएच उपनिदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	लागू नहीं होता - अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य - सदस्य

[ए.12034/06/2019-एमएच-II]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार